विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 5267 के उत्तरांश (क) का परिशिष्ट 'अ'

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'इक्यानवे'

[8/3/2016]

प्रश्न सं. [क्र. 5267]

मध्यप्रदेश शासन

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल, 462004

भोपाल, दिनांक: 10 अप्रैल, 2015

क्रमांक / एफ 25–36 / 2005 / 10–3

प्रति,

समस्त कलेक्टर्स,
मध्यप्रदेश

विषय :– भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा–29 एवं धारा–4 (1) में अधिसूचित वन भूमियों पर अधिकारों को अभिलेखित किये जाने बाबत्।

संदर्भ :– इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 13.02.2015

—0—

उपरोक्त विषय में कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करें।

2/ उक्त पत्र वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्राप्त गैर वन भूमियों में व्यक्ति एवं समुदाय के विद्यमान अधिकारों को अभिलिखित किये जाने के संबंध में है। यह उल्लेखनीय है कि पूर्व में भी भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा–29 अन्तर्गत अधिसूचित संरक्षित वन एवं धारा–4 (1) अन्तर्गत अधिसूचित प्रस्तावित आरक्षित वन भूमियों पर तत्समय राजस्व अभिलेखों में दर्ज व्यक्ति एवं समुदाय के अधिकारों को, सक्षम राजस्व अधिकारियों द्वारा जाँच कर संभवतः अभिलिखित नहीं किये गये हैं।

3/ अतः उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में लेख है कि उक्तानुसार पूर्व में अधिसूचित संरक्षित वन एवं प्रस्तावित आरक्षित वन भूमियों पर तत्समय राजस्व अभिलेखों में दर्ज व्यक्ति एवं समुदाय के अधिकारों के स्वरूपों की जानकारी, सक्षम राजस्व विभाग के अधिकारियों से, अभिलिखित करवाकर, संबंधित वन मण्डल अधिकारियों को उपलब्ध कराने की कार्यवाही दो माह की अवधि में अनिवार्य रूप से पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

अजीत

(ए.पी. श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव
म.प्र. शासन, वन विभाग

भोपाल दिनांक: 10 अप्रैल 2015

पृ0क्र0 / एफ 25–36 / 2005 / 10–3

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
4. समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), एवं वन्य प्राणी वनमण्डल, मध्यप्रदेश।
5. समस्त वन मण्डल अधिकारी (क्षेत्रीय) एवं वन्य प्राणी वनमण्डल, मध्यप्रदेश।
6. संचालक, माधव राष्ट्रीय उद्यान, शिवपुरी म.प्र., मुख्य वन संरक्षक सिंह परियोजना एवं वन मण्डलाधिकारी, पालपुर कूनो अभ्यारण्य मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अजीत

प्रमुख सचिव

अधिकारी

विधान सभा सत्र फरवरी–अप्रैल 2016

अतारांकित प्रश्न क्रमांक 5267 के उत्तरांश 'ख' भाग का परिशिष्ट 'ब'

भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 4 में अधिसूचित भूमि की जानकारी

क्र0	जिला	वन व्यवस्थापन अधिकारियों की संख्या	वनखण्डों की संख्या	रकबा (हे.मे.)
1	बालाघाट	3	56	57087
2	बैतूल	3	482	71684
3	सीहोर	5	74	47105
4	राजगढ़	4	26	21507
5	रायसेन	5	397	118735
6	विदिशा	6	124	63821
7	भोपाल	2	50	13338
8	छतरपुर	4	229	197792
9	टीकमगढ़	4	255	36438
10	पन्ना	5	148	336366
11	छिन्दवाड़ा	5	538	223498
12	होशंगाबाद	5	129	137293
13	हरदा	3	55	31146
14	ग्वालियर	2	32	25303
15	दतिया	2	9	19718
16	भिण्ड	3	35	5192
17	मुरैना	3	51	67145
18	श्योपुर	3	93	78803
19	इंदौर	3	8	3604
20	धार	5	29	47390
21	झाबुआ	5	10	22936
22	जबलपुर	4	53	19370
23	कटनी	4	42	41893
24	मण्डला	2	218	2640
25	खंडवा	2	150	3561
26	बुरहानपुर	1	28	3962

27	बड़वानी	1	7	311
28	खरगौन	3	34	1130
29	रीवा	4	42	36345
30	सतना	1	90	201014
31	सीधी	5	416	167853
32	सागर	6	512	100354
33	दमोह	2	176	56758
34	नरसिंहपुर	4	149	69633
35	सिवनी	2	298	24956
36	शिवपुरी	5	224	152450
37	गुना	3	151	137442
38	अशोकनगर	2	45	30512
39	शहडोल	2	449	74945
40	अनुपपुर	1	277	31158
41	उमरिया	1	249	59620
42	शाजापुर	2	9	5559
43	रतलाम	3	29	119229
44	मंदसौर	4	20	6082
45	नीमच	1	14	28859
46	देवास	3	8	3086
			योग	3004623

(बी0के0 मिश्रा)
संरक्षक (वन–भू अभिलेख)

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग (कक्ष 3)
मंत्रालय, भोपाल

Sheet8